पत्रांक– 11 न0वि0 अभि0(को0) 178/2017 1365 न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
मधेपुरा।

कार्यपालक पदाधिकरी,
नगर परिषद, मधेपुरा।

पटना, दिनांक– 29/10/18

विषयः– ई–टेंडरिंग पद्धति द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं0–04/2017–18 के ग्रुप सं0–01 के कार्य नगर परिषद, मधेपुरा क्षेत्रान्तर्गत सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य के आवंटन के संबंध में।

प्रसंगः– कार्यपालक अभियंता, डुडा, मधेपुरा का पत्रांक–48 दिनांक–23.10.2018 एवं इस कार्यालय का पत्रांक–1236 दिनांक–01.10.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कार्यपालक अभियंता, डुडा, मधेपुरा के प्रासंगिक पत्र द्वारा ई–टेंडरिंग पद्धति द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं0–04/2017–18 के ग्रुप सं0–01 के कार्य नगर परिषद, मधेपुरा क्षेत्रान्तर्गत सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य हेतु तकनीकी बिड में सफल दो निविदाकार (1) मे0 नील कमल एवं (2) मे0 सीता कन्सट्रक्शन का वित्तीय बिड खोलकर तुलनात्मक विवरणी समर्पित किया गया है।

तदनुसार तकनीकी बिड में सफल उक्त दोनों निविदाकारों में से न्यूनतम दर देने वाले निविदाकार **मे0 नील कमल** को उक्त कार्य उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की राशि **1,11,72,641/–(एक करोड़ ग्यारह लाख बहत्तर हजार छः सौ इकतालीस)** रूपये मात्र से 0.02% कम दर अर्थात राशि **1,11,70,406/–(एक करोड़ ग्यारह लाख सत्तर हजार चार सौ छः)** रूपये मात्र पर कार्य आवंटित किया जाता है। कार्य आवंटन एवं एकरारनामा के पूर्व सभी कागजात से संतुष्ट होने के उपरान्त ही एकरारनामा करेंगे। कार्यपालक अभियंता, डुडा, मधेपुरा/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा सभी कागजात का सत्यापन कर एवं असाधारण उद्धृत दर के लिए यथोचित Additional Performance Guarantee लेकर एकरारनामा करेंगे।

तदनुसार निम्न निदेशों को पालन करते हुए एकरारनामा करेंगेः–

1. कार्य समाप्ति की अवधि **12 (बारह)** माह होगी।
2. कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी अनुमोदन के अधीन सीमित रखा जाय।
3. एकरारनामा हेतु पूर्ण रूपेण जाँचोपरान्त परिमाण विपत्र के अवयवों को शुद्ध एवं वैध स्वरूप प्रयुक्त किया जाय।
4. कार्य का एकरारनामा 07 (सात) दिनों के अन्दर सम्पन्न कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
5. अगर निविदा में अंकगणितीय गणना में कोई त्रुटि रह गई तो इसकी सूचना निश्चित रूप से दिया जाय एवं निविदा का कार्यान्वयन तब तक नहीं किया जाय जब तक कि इस स्तर से समुचित निदेश प्राप्त नहीं हो जाय।

6. कार्य का सम्पादन तकनीकी स्वीकृति में दिये गये टीका–टिप्पणी के अनुरूप विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाय।

7. कार्य को निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत सम्पादित कराना सुनिश्चित कराया जाय। परिमाण विपत्र में अंकित मात्राओं को कार्यस्थल पर पुस्तिका में अंकित कर दिया जाय एवं तदनुसार ही कार्य कराया जाय। इसके लिए संवेदक से कार्य योजना प्राप्त कर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलबध करायी जाय।

8. कार्य आरम्भ करने के पूर्व प्री लेवेल अवश्य करा लेंगे, ताकि कार्य पूर्ण होने पर कृत कार्य की मात्रा की गणना सही ढंग से की जा सके।

9. कार्य के दौरान व्यवहार में आनेवाले सामग्रियों यथा ईट, बालू, चिप्स, मेटल आदि की गुणवत्ता की जाँच व्यवहार में लाने के पूर्व करा लेंगे।

10. कार्य में लगने वाले निर्माण सामग्रियों का ढुलाई दर वास्तविक दूरी के आधार पर देय होगा।

11. भवन में लगने वाले लौह छड़ (Reinforcement), Tata/SAIL/RINL Make का होना चाहिए।

12. PCC/RCC कार्य की योजना में कार्य के दौरान Cube का Mould cast के बाद Crushing strength का Test अवश्य करा लेंगे।

13. कार्य आरंभ करने के पहले मिट्टी की भार वाहन क्षमता हेतु मिट्टी की जाँच करा लेंगे तथा मिट्टी भार वहन क्षमता के ज्ञात होने के उपरान्त नींव के निरूपण नक्शे में अंकित भार वहन क्षमता के साथ मिलान कर लेंगे, अन्तर पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करेंगे।

14. कार्य स्थल पर योजना संबंधी सूचना पट्ट लगाना आवश्यक हो, जो लोहे के Angle पर PCC से जाम हो।

15. आप से प्राप्त तुलनात्मक विवरणी में अग्रत्तर कार्रवाई हेतु लौटाई जाती है।

16. प्रस्तावित भवन का प्लींथ स्थलानुसार निर्धारण करेंगे, यदि प्राक्कलन में निर्धारित प्लींथ लेवल में फेरबदल होती है तो निश्चित रूप से इस कार्यालय को सूचित करेंगे।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन

<u>अनु0:–</u> तुलनात्मक विवरणी एवं सभी निविदा अभिलेख मूल में।

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।